राजस्थान मंडपम् व यूनिटी मॉल के खिलाफ दायर पी.आई.एल. सुप्रीम कोर्ट में खारिज

शीर्ष अदालत ने कहा कि, ''जयपुर की यह विवादित भूमि, वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है''

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में राज्य सरकार की दो योजनाओं राजस्थान मंडपम व यूनिटी मॉल का निर्माण रोकने और इस जमीन को वन भूमि घोषित करने के लिए दायर पीआईएल को खारिज कर दिया।

सीजेआई बी.आर.गवई व जस्टिस के. विनोद चन्द्रन ने यह आदेश टी.एन. गोदावर्मन मामले में दायर एक पीआईएल पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि जयपुर की सांगानेर तहसील स्थित डोल का बाड़ क्षेत्र में इन परियोजना की जमीन वन भूमि है, और ऐसे में इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर इन परियोजनाओं के निर्माण पर पाबंदी लगाई जाए।

- **ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स - ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई है।**

जवाब में राज्य सरकार व रीको की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि संबंधित भूमि 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट तक तय किया जा चुका है। यह भूमि 1991, 2011 और 2025 के मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अंकित है। इन परियोजनाओं को रोकने के लिए एक समूह के लोग बार-बार याचिकाएं दायर कर रहे हैं। ऐसी याचिकाएं पूर्व में भी एनजीटी व राजस्थान हाईकोर्ट में भी दायर हो चुकी हैं।

इन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर तथ्य छिपाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। राज्य सरकार ने परियोजना वाली जगह पर कोई पेड़ नहीं काटे हैं और केवल 56 पेड़ों को ही मंजूरी लेकर प्रत्यारोपित किया है।

वहीं उनकी संख्या से 10 गुना अधिक पौधे वृक्षारोपण के तौर पर लगाए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है।

ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स - ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई है।

'कागजों में नहीं धरातल पर काम चाहिए, स्कूलों की मरम्मत का निरीक्षण स्वतंत्र बॉडी से भी हो'

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जर्जर स्कूलों को लेकर कहा है कि उन्हें कागजों में काम नहीं चाहिए, बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने स्कूलों में कराए जा रहे रिपेयरिंग के काम का निरीक्षण स्वतंत्र बॉडी से कराने की मंशा जताते हुए न्यायमित्र सहित सभी पक्षों को इसके लिए नाम सुझाने को कहा है। वहीं अदालत ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को प्रकरण में विस्तृत योजना पेश करने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने शपथ पत्र के जरिए जर्जर स्कूलों की मरम्मत को लेकर अदालत में जानकारी दी। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि अधिक जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपए का बजट तय किया गया है और आगामी मार्च माह तक काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं शेष स्कूलों में मरम्मत का काम नवंबर, 2026 तक पूरा कर लेंगे। अदालत ने कहा कि 5 लाख रुपए में मरम्मत कैसे होगी, लाखों रुपए तो रंग-सफेदी में ही लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि बिना परीक्षण किए सतही तौर पर यह राशि तय की गई है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि जरूरत पडेगी तो और बजट जारी किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के लिए कुल बजट का 11.46 फीसदी बजट स्वीकृत किया गया है। अदालत ने मरम्मत के काम के निरीक्षण का काम स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मंशा जताते हुए कहा कि ठेकेदार की गलती से घटनाएं होती हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी से निरीक्षण कराने के बजाए स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाना चाहिए। अदालत ने महाधिवक्ता को कहा कि आप काम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज भी टीन शेड के नीचे स्कूल संचालित हो रही हैं। सभी जिलों की स्कूलों की ग्रेडिंग तय हो ताकि, काम को लेकर प्राथमिकता तय हो सके। इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल फोकस सुरक्षा को लेकर है। अदालत मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं स्वतंत्र संस्था से रिपेयरिंग का निरीक्षण स्वतंत्र एजेंसी से कराने के संबंध में सरकार से निर्देश लेने पडेंगे। एजी ने कहा कि नवंबर माह में केन्द्र सरकार से भी पैसा जारी होगा और उन्हें रोडमैप पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को तय करते हुए सभी पक्षों को स्वतंत्र एजेंसी का नाम सुझाने को कहा है।

- **राजस्थान में जर्जर स्कूलों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को विस्तृत कार्य योजना पेश करने के आदेश दिए**
- **अदालत ने यह आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए**

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जनपथ, जयपुर कार्यालय दूरभाष नं0 0141-2744283
फैक्स नं0 0141-2740568, ईमेल आईडी - rssjaipur@gmail.com

क्रमांक :- F.8/KIUG-2025/Synthetic Track /Raj-Kaj Ref.18293941 दिनांक :- 13/10/2025

निविदा सूचना संख्या 56/2025-26

राजस्थान में आयोजित होने वाले खेलों इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025 के आयोजन हेतु सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर स्थित सिन्थेटिक एथलेटिक ट्रेक पर विविध कार्यों के लिए राज्य/केन्द्र सरकार के संगठनों/विभागों में पंजीकृत संवेदकों से ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in व www.rssc.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. : RSC2526WSOB00058

राज.संवाद/सी/25/12177 सचिव

दीपोत्सव की तैयारियां परवान पर

जयपुर। सुभाष चौक पानों का दरीबा स्थित श्री शुक संप्रदाय की आचार्य पीठ श्री सरस निकुंज में पंच दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां परवान पर है।

शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सान्निध्य में श्री सरस निकुंज परिसर को सजाया जा रहा है। श्री सरस परिकर के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया ने बताया कि दीपोत्सव से पूर्व 17 अक्टूबर को रमा एकादशी पर श्री ठाकुर श्री राधा सरस विहारी जी सरकार की नित्य सेवा के साथ विशेष मनोरथ रूपी भाव सेवा के दर्शन सुबह 10 बजे श्रृंगार आरती के साथ कराए जाएंगे।

''विकसित राजस्थान 2047'' के विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रही भजनलाल सरकार

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ''विकसित भारत 2047'' के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी ''विकसित राजस्थान 2047'' विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भजनलाल सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तीकरण को केन्द्र में रखते हुए इस विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक काम कर ही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बने इस विज़न डॉक्यूमेंट में राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में विकास के लिए लक्ष्य तय किये गए हैं। इनके अनुरूप प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल-जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और किफायती आवास सुनिश्चित किए जाएंगें। साथ ही, महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता एवं नेतृत्व के अवसर प्रदान कर उनकी राज्य के विकास यात्रा में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

यह विजन चार प्रमुख थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है। पहली थीम जनकल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण है, जिसमें कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और शासन की है, जो ग्रामीण व शहरी विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है।

- **वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य**

राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में वर्ष 2047 तक कृषि क्षेत्र में जलवायु अनुकूल और तकनीक आधारित खेती के माध्यम से उत्पादकता में 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में लाने, मातृ मृत्यु दर को 15 तक लाने, शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 10 से कम करने और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। विजन डॉक्यूमेन्ट के अनुसार औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य में एक करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक करने का संकल्प लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्यात को भी पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

ऊर्जा क्षेत्र को 33 गीगावाट से बढ़ाकर 290 गीगावाट करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार यह विज़न डॉक्यूमेंट राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन द्वारा नीति आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया है, जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त को अनुमोदित किया था। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी13 अक्टूबर को विकसित राजस्थान-2047 की कार्ययोजना विमोचन किया।

प्रसारण निगम का नया पेंशन पोर्टल शुरू

जयपुर। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए एक नया ऑनलाइन पेंशन पोर्टल शुरू किया है। अब पेंशन से जुड़ी जानकारी या दस्तावेजों के लिए कर्मचारियों को अब दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे, वे घर बैठे ही पेंशन सम्बन्धी सेवायें ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनधारी कर्मचारी जीवित प्रमाण पत्र, पेंशन से जुड़ी रिपोर्ट, आदेश और भुगतान की जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

खोया पाया

मेरा Flat No.-9/GH/L/4/8 (f-f) अलकनंदा अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर का मूल Seven Day's Latter कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें- 9929606767

कार्यालय अ0 आवासन आयुक्तबृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक : 7659 **आवश्यक सूचना** दि. 08.10.25
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लेट संख्या 192/157 अल्प आय वर्ग का आवंटन श्री पृथ्वी सिंह राठौड़ पुत्र स्व. श्री अमर सिंह राठौड़ को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4487 दिनांक 30.11.2004 को जारी किया गया था। श्री पृथ्वी सिंह राठौड़ के द्वारा दिनांक 12.07.2004 को श्री पुरूषोत्तम सोनी पुत्र श्री पेसुमल सोनी को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। मुख्त्यारआम धारक श्री पुरूषोत्तम सोनी द्वारा श्री पृथ्वी सिंह राठौड़ के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 25.07.2008 को उप पंजीयक सांगानेर- प्रथम जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। पुनः श्री पृथ्वी सिंह राठौड़ के द्वारा दिनांक 09.02.2009 को श्री पुरूषोत्तम सोनी पुत्र श्री पेसुमल सोनी को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री पुरूषोत्तम सोनी द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से दिनांक 05.03.2009 को श्री जितेन्द्र कुमार बंसल पुत्र श्री बाबूलाल बंसल के नाम उप पंजीयक सांगानेर- प्रथम जयपुर में विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्री जितेन्द्र कुमार बंसल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 24.09.2025 को श्री मुकेश कुमार मंगल पुत्र श्री रमेश चन्द्र मंगल को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक, सांगानेर- प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/ क्रेती श्री मुकेश कुमार मंगल पुत्र श्री रमेश चन्द्र मंगल द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बावत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री मुकेश कुमार मंगल पुत्र श्री रमेश चन्द्र मंगल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
भवदीय
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरी अभिभाष्या बृजबाला पत्नी शिवप्रसाद पुत्री रामस्वरूप जाति पुरोहित निवासी गठाला कॉलोनी, शिवमंदिर के पास, बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या की स्व. पिता रामस्वरूप पारीक से उपहार के रूप मे ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित खसरा नं. 3787, 3788/8070, 3849, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872/8071, कुल किता 20 का कुल रकबा 7.6300 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई थी, जिसका स्वामित्व मेरी अभिभाष्या के पास ही था,, मेरी अभिभाष्या ने अपने पति शिवप्रसाद पुत्र रायकरण निवासी गठाला कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, ग्राम बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को उपरोक्त आराज़ियात के संबंध मे मुख्त्यारग्राम नियुक्त कर उसके पक्ष मे एक मुख्त्यारनामा खास दिनांक 10.09.2025 को 500/- रूपये के स्टाम्प पेपर व तीन अन्य पेपरो पर तहरीर व तकमील कर निष्पादित किया गया था, जिसको मेरी अभिभाष्या ने दिनांक 02.10.2025 को निरस्त करवा दिया था, जिसकी जानकारी मेरी अभिभाष्या के पति शिवप्रसाद पारीक को भी है, मेरी अभिभाष्या द्वारा उक्त आम सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि शिवप्रसाद पारीक के द्वारा उपरोक्त आराजी का विक्रय बंधक, दान, पट्टा इत्यादि के माध्यम से किसी भी प्रकार का संव्यवहार किया जाता है तो वह शून्य, व अवैध होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
दिनांक:15/10/25 जी.एल.जाट (एडवोकेट) मो. 9214670780

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरे अभिभाष्यगण जो कि मेरे अभिभाष्यगण मालीराम पुत्र स्व. श्री कालू निवासी ग्राम जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर गीता देवी पत्नी स्व. दुर्गालाल जाति मीणा पवन कुमार पुत्र स्व. श्री दुर्गालाल, महावीर प्रसाद पुत्र स्व. श्री दुर्गालाल, रेखा पुत्री स्व. श्री दुर्गालाल, बिंदामी देवी पत्नी स्व. श्री देवीलाल निवासी ग्राम सिरसी राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर पूजा पुत्री स्व. श्री दुर्गालाल पत्नी अशोक कुमार हाल निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर, जिला जयपुर, सावित्री पुत्री स्व. श्री देवीलाल पत्नी ओमप्रकाश, तारामती पुत्री स्व. श्री देवीलाल पत्नी रमेश कुमार मीणा निवासी ग्राम थवली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण की खातेदारी भूमि ग्राम जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर मे स्थित खसरा नं. 72, 73, 74, 94/476, 94/538 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर व हाल खसरा नं. 75, 77, 78, 93, 94, 94/476/539, 95/529, 98/551 कुल किता 9 का कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके संबंध मे एक अनुबंध पत्र दिनांक 28.12.2024 को मेरे अभिभाष्यगण व इनके पूर्वज दुर्गालाल द्वारा महेश कुमार मीणा पुत्र सरदार सिंह मीणा, निवासी ग्राम दांतारामगढ़, जिला सीकर, रामजीलाल मीणा पुत्र श्री रामेश्वर लाल मीणा, निवासी ग्राम मुनावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राहुल मीणा पुत्र सुभाष कुमार मीणा, निवासी ग्राम जाखल, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं के हक में निष्पादित किया गया था, जिसको मेरे अभिभाष्यगण द्वारा दिनांक 14.10.2025 को महेश कुमार, रामजीलाल मीणा व राहुल मीणा को जरिये विधिक नोटिस प्रेषित कर निरस्त करवा दिया था, मेरे अभिभाष्यगण द्वारा उक्त आम सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि महेश कुमार मीणा के द्वारा उपरोक्त आराजी का विक्रय बंधक, दान, पट्टा इत्यादि के माध्यम से किसी भी प्रकार का संव्यवहार किया जाता है तो वह शून्य, व अवैध होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
दिनांक:15/10/25 जी.एल.जाट (एडवोकेट) मो. 9214670780

आम सूचना सर्वसाधारण को मेरे अभिभाष्यगण जो कि मेरे अभिभाष्यगण मालीराम पुत्र स्व0 श्री कालू, निवासी ग्राम जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर, गीता देवी पत्नी स्व0 दुर्गालाल जाति मीणा, पवन कुमार पुत्र स्व0 श्री दुर्गालाल, महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 श्री दुर्गालाल, रेखा पुत्री स्व0 श्री दुर्गालाल, बिंदामी देवी पत्नी स्व0 श्री देवीलाल निवासी ग्राम सिरसी राधाकिशनपुरा, तहसील जालसू, जिला जयपुर, पूजा पुत्री स्व0 श्री दुर्गालाल पत्नी अशोक कुमार हाल निवासी ग्राम रूण्डल, तहसील आमेर, जिला जयपुर, सावित्री पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नी ओमप्रकाश, तारामती पुत्री स्व0 श्री देवीलाल पत्नी रमेश कुमार मीणा निवासी ग्राम थवली, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण की खातेदारी भूमि ग्राम जालसू, तहसील जालसू, जिला जयपुर मे स्थित खसरा नं. 72, 73, 74, 94/476, 94/538 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर व हाल खसरा नं. 75, 77, 78, 93, 94, 94/476/539, 95/529, 98/551 कुल किता 9 का कुल रकबा 1.93 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके संबंध मे एक अनुबंध पत्र दिनांक 28.12.2024 को मेरे अभिभाष्यगण व इनके पूर्वज दुर्गालाल द्वारा महेश कुमार मीणा पुत्र सरदार सिंह मीणा, निवासी ग्राम दांतारामगढ़, जिला सीकर, रामजीलाल मीणा पुत्र श्री रामेश्वर लाल मीणा, निवासी ग्राम मुनावता, तहसील आमेर, जिला जयपुर, राहुल मीणा पुत्र सुभाष कुमार मीणा, निवासी ग्राम जाखल, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं के हक में निष्पादित किया गया था, जिसको मेरे अभिभाष्यगण द्वारा दिनांक 14.10.2025 को महेश कुमार, रामजीलाल मीणा व राहुल मीणा को जरिये विधिक नोटिस प्रेषित कर निरस्त करवा दिया था, मेरे अभिभाष्यगण द्वारा उक्त आम सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि महेश कुमार मीणा के द्वारा उपरोक्त आराजी का विक्रय बंधक, दान, पट्टा इत्यादि के माध्यम से किसी भी प्रकार का संव्यवहार उक्त अनुबंध पत्र दिनांक 28.12.2024 के द्वारा किया जाता है तो वह शून्य, व अवैध होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
दिनांक:15/10/25 जी.एल.जाट (एडवोकेट) मो.-9214670780

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर हेरिटेज
सोफिया स्कूल के सामने, घाटगेट जयपुर
क्रमांक : एफ-52 / DC / KPZ / 2025 / 638 दिनांक : 15.10.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
श्री राहुल लख्यानी पुत्र श्री लक्ष्मण लख्यानी मकान नम्बर 489, गोविन्द राय जी का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर ने किशनपोल जोन में उक्त भवन का पट्टे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भवन के संबंध में आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्रों की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का पट्टा चाहा है। इस संबंध में किसी संस्था अथवा अन्य व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि के समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टे की कार्यवाही की जावेगी। उपायुक्त, किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर हैरिटेज

नाम परिवर्तन
मैं मुकेश कुमार नायक पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद नायक मेरे शैक्षिणक दस्तावेज में भूलवस मुकेश कुमार दर्ज हो गया जो गलत है। आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मुकेश कुमार नायक पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद नायक है जो सही है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

मै सागर फौजदार पुत्र श्री विष्णु चौधरी निवासी 77-78 मंगल विहार, पोल्ट्री फार्म के पीछे, आगरा रोड, जामडोली जयपुर यह कि मेरे पासपोर्ट में सागर फौजदार (SAGAR FOUZDAR) गलत दर्ज है मेरा सही नाम सागर फौजदार (SAGAR FOUJDAR) है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये।

मै विष्णु चौधरी पुत्र श्री रूपन सिंह निवासी 77- 78, मंगल विहार पोल्ट्री फार्म के पीछे आगरा रोड जामडोली जयपुर, मेरे पुत्र के पासपोर्ट में मेरा नाम विष्णु कुमार दर्ज है जो गलत है सही नाम विष्णु चौधरी है तथा मुझे इस नाम से जाना जाता है

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय माननीय नवसृजित किराना अधिकरण, जयपुर महानगर (प्रथम) जयपुर
मुकुट बिहारी व अन्य विरुद्ध अवध बिहारी व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र CMC
प्रार्थना-पत्र संख्या - 96 सन् 2025
नाम (1) श्री अवध बिहारी शर्मा पुत्र स्व. मदन लाल शर्मा पता चौरडिया पैट्रोल पम्प के सामने, शराब की दुकान के उपर, सांगानेर, जयपुर (2) हरिशंकर गोस्वामी पुत्र शंकरगिरी गोस्वामी पता 25-क-4 ज्योति नगर, हाऊसिंग बोर्ड, जयपुर व डी-616, मालवीय नगर, जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में आवेदन किया है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 13 माह 11 सन् 2025 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश को सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज दिनांक 15 माह 10 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-रीडर
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-5 एवं किराया अधिकरण द्वितीय जयपुर महानगर प्रथम
मोहर अदालत

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 300/2025
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम आकाश शर्मा पुत्र स्व. संतोष कुमार शर्मा जाति... विवाद स्थान निवासी प्लाट संख्या बी-403, विजय अपार्टमेंट इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी चौरडिया सिटी, पुलिस थाना भांकरोटा, जयपुर मृतक कल्पना शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 3.11.25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम कल्पना शर्मा पत्नी संतोष कुमार शर्मा जाति शर्मा निवासी 52-ए, आदर्श कॉलोनी, शांति नगर हटवाडा रोड, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 03 माह 11 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 13 माह 10 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
जिला एवं सैंशन न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय
मोहर अदालत

प्ररूप-10 (नियम 6(7) देखिए)
प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर पालिका मण्डल, देवली (टोंक) राज.
लोक सूचना
क्रमांक- न.पा.दे./कृषि भूमि/2025-26/ दिनांक-
आदर्श इण्डियन पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति, देवली जरिये सचिव श्री मोहित मंगल पुत्र श्री सीताराम मंगल, निवासी पटेलनगर देवली, जिला टोंक (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	रकबा/क्षेत्र	मास्टर प्लान में दर्शित भू-उपयोग	भू-उपयोग का प्रकार
तह.देवली जिला टोंक	देवली गांव	3289	1.7600 है.	मास्टर प्लान में परिधि नियंत्रण पट्टी कृषि	परिधि नियंत्रण पट्टी कृषि से संस्थागत (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 14.10.2025 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी
नगरपालिका देवली

कार्यालय नगर परिषद, टोंक
क्रमांक :- एमसीटी/2025-26/9126 दिनांक :- 10.10.2025
इश्तेहार
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्ति द्वारा पटटा बनवाने हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई है।

क्र0 सं0	नाम पिता/पति	कॉलोनी	साईज	भूखण्ड संख्या	पट्टे की श्रेणी
1.	बानो/बाबु खां	अम्बेडकर कॉलोनी	225 वर्गगज	01	कृषि भूमि
2.	सआदत अली/बाबू खां	हाउसिंग बोर्ड	241.99 वर्गगज	171	कृषि भूमि
3.	कन्हैया लाल महावर/पन्ना लाल महावर	तिलक नगर